न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
7/2021	21.01.2021	14/06/2021

पीठासीन अधिकारी – राजेश डागा (R.A.S.)

उनवान

जितेश नागर आत्मज राजूलाल नागर जाति धाकड निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में संयुक्त आराजी ख0नं0 724 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 725 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 726 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 727 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.00 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में संयुक्त आराजी ख0नं0 170 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 172 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.25 हे0, ख0नं0 179 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 530 रकबा 3.22 हे0, ख0नं0 559 रकबा 2.39 हे0, ख0नं0 600 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 604 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 613 रकबा 1.36 हे0, ख0नं0 669 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 707 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 733 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 761 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 885 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 886 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 889 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 922 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 17 रकबा 16.55 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है। वादी के पिता का फोती इंतकाल दर्ज करते समय वादी का नाम नितेश कुमार दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक नाम जितेश नागर है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जितेश नागर दर्ज किया जाना जाहिए था। वादी के विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार वादी की जन्म दिनांक 29.08.2001 है, जिसके अनुसार वादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा विधिवत् रूप से बालिग हो चुका है, जिससे वादी को उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में बालिग दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 21.12.2020 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नें उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त करनें से इन्कार कर दिया।

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम दीगोद तहसील

Scanned by CamScanner

दीगोद जिला कोटा में संयुक्त आराजी ख0नं0 724 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 725 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 726 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 727 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.00 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में संयुक्त आराजी ख0नं0 170 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 172 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.25 हे0, ख0नं0 179 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 530 रकबा 3.22 हे0, ख0नं0 559 रकबा 2.39 हे0, ख0नं0 600 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 604 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 613 रकबा 1.36 हे0, ख0नं0 669 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 707 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 733 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 761 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 885 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 886 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 889 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 922 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 17 रकबा 16.55 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम नितेश कुमार के स्थान पर जितेश नागर दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। वादी को बालिग घोषित किया जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम दीगोद सं0 2072–75 खाता नं0 380
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम देवपुरा सं0 2072–75 खाता नं0 379
3. छायाप्रति अंकतालिका माशिबो राजस्थान जितेश नागर पुत्र राजूलाल
4. छायाप्रति पेनकार्ड जितेश नागर पुत्र राजू नागर
5. छायाप्रति जन आधार कार्ड
6. छायाप्रति आधार कार्ड जितेश नागर पुत्र राजू नागर
7. छायाप्रति राशनकार्ड
8. छायाप्रति भामाशाह कार्ड
9. शपथ पत्र कान्तिबाई पुत्री राजूलाल जाति धाकड निवासी देवपुरा हाल कोटा जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य शहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा वांछित अनुतोष के कम में वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं0 2072–75 खाता नं0 380 वाके ग्राम दीगोद व जमाबंदी सं0 2072–75 खाता नं0 379 वाके ग्राम देवपुरा का अवलोकन किया गया। विवादित भूमियां वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें वादी का नाम नितेश कुमार पुत्र राजू नाबालिग दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् में वादी का नाम नितेश नागर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से जितेश कुमार व नितेश नागर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रकट

Scanned by CamScanner

होता है। विवादित आराजी की सहखातेदार द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति प्रदान की गई है साथ वादी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति अंकतालिका माशिबो राजस्थान के अनुसार वादी की जन्मतिथि 29.08.2001 होनें से वादी पूर्ण रूप से बालिग हो चुका है। जिससे वादी को राजस्व रिकॉर्ड में बालिग दर्ज किया जाना एवं नाम दुरूस्त किया जाना उचित पाते है।

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 724 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 725 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 726 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 727 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.00 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 170 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 172 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.25 हे0, ख0नं0 179 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 530 रकबा 3.22 हे0, ख0नं0 559 रकबा 2.39 हे0, ख0नं0 600 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 604 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 613 रकबा 1.36 हे0, ख0नं0 669 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 707 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 733 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 761 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 885 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 886 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 889 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 922 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 17 रकबा 16.55 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम नितेश कुमार के स्थान पर जितेश नागर दर्ज किया जावें तथा वादी को बालिग दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 14/06 /2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

नोट : पारित निर्णय दिनांक 14.6.2021 में ग्राम दीगोद के स्थान पर देवपुरा पढ़ा जावे

(उपखण्ड अधिकारी)
दीगोद (जिला कोटा राज.)

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

जितेश नागर आत्मज राजूलाल नागर जाति धाकड निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–7/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ राजेश डागा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 724 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 725 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 726 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 727 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.00 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 170 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 172 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.25 हे0, ख0नं0 179 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 530 रकबा 3.22 हे0, ख0नं0 559 रकबा 2.39 हे0, ख0नं0 600 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 604 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 613 रकबा 1.36 हे0, ख0नं0 669 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 707 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 733 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 761 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 885 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 886 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 889 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 922 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 17 रकबा 16.55 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम नितेश कुमार के स्थान पर जितेश नागर दर्ज किया जावें तथा वादी को बालिग दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 14/06/2021 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

नोट :- पारित डिक्री दिनांक 14.6.21 में ग्राम दीगोद के स्थान पर देवपुरा पढ़ा जावे।
ह॰ अप॰

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner